कपिलाश अभयारण्य: वन-भूमि अनुमति और पारिस्थितिक पहचान

अध्ययन/स्रोत-संदर्भ: NBWL स्थायी समिति से कैपिटल रीजन रिंग रोड के लिए अनुमति: 8 फरवरी 2026 की रिपोर्ट
वास्तविक प्रकाशन तिथि: 20 अक्टूबर 2026
पर्यावरण: संरक्षित क्षेत्र और वन-भूमि अनुमति की प्रक्रिया

समाचार-संदर्भ:

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (8 फरवरी 2026) की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की स्थायी समिति ने कैपिटल रीजन रिंग रोड (CRRR) परियोजना के गोबिंदपुर-टांगी खंड के लिए कपिलाश अभयारण्य की 4.682 हेक्टेयर वन-भूमि और पारिस्थितिक-संवेदी क्षेत्र (ESZ) की 8.594 हेक्टेयर भूमि के उपयोग की अनुमति दी है।

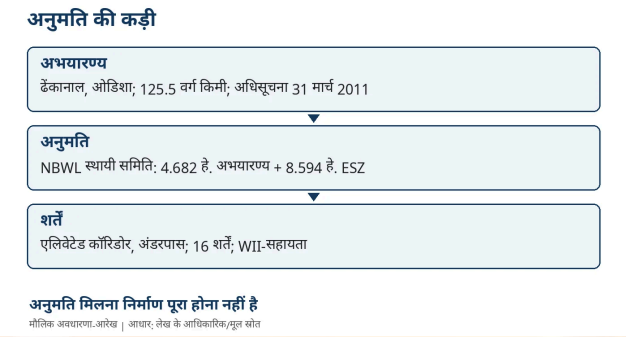
रिपोर्ट के अनुसार यह प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के पक्ष में है; 110.875 किमी की इस परियोजना को भुवनेश्वर बाइपास भी कहा जाता है, जो खुर्दा के रामेश्वर को कटक के टांगी से जोड़ेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने अगस्त 2025 में परियोजना को मंजूरी दी थी — यह विवरण उसी रिपोर्ट पर आधारित है।

स्थान और शर्तें:

PCSMANTRA.COM

रिपोर्ट के अनुसार विचलित भूमि अभयारण्य के कम्पार्टमेंट संख्या-I में है, जहाँ हाथियों का नियमित आवागमन रहता है; लगभग 2,978 पेड़ प्रभावित होने का अनुमान है।

प्रधान मुख्य वन्यजीव प्रधान के हवाले से रिपोर्ट बताती है कि NHAI को अनुमत भूमि में एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में काम करना होगा, जिसमें पशु-अंडरपास, कल्वर्ट और पुल के साथ प्रकाश-ध्वनि अवरोध होंगे। स्थायी समिति ने परियोजना के लिए 16 शर्तें रखी हैं और वन्यजीव-शमन योजना वन्यजीव संस्थान (WII) की मदद से बनाई गई है।



चित्र के अक्षर छोटे दिखें तो चित्र को छूकर बड़ा खोलें और ज़ूम करें।

लेख के मूल स्रोतों पर आधारित मौलिक अवधारणा-आरेख।

अभयारण्य की पहचान (आधिकारिक):

ओडिशा वन्यजीव विभाग के आधिकारिक पृष्ठ के अनुसार कपिलाश अभयारण्य ढेंकानाल जिले में मध्य ओडिशा में है; इसकी अधिसूचना 31 मार्च 2011 की है और अधिसूचित क्षेत्र 125.5 वर्ग किलोमीटर है।

विभाग के अनुसार यहाँ साल, सागवान, केंदु, कुम्भी और महुआ के वन हैं; स्तनधारियों में हाथी, जंगली सूअर, हिरण, जंगली बिल्ली और विशाल गिलहरी, तथा पक्षियों में मोर, हिल मैना, तोता, उल्लू और धूसर ग्रीडने पक्षी दर्ज हैं।

पहाड़ी के शीर्ष पर भगवान चंद्रशेखर का मंदिर है और यहाँ गिरियल प्रजनन केंद्र तथा एक छोटा चिड़ियाघर भी है।

PCSMANTRA.COM

संरक्षित क्षेत्र में अनुमति का अर्थ:

संरक्षित क्षेत्र में वन-भूमि का उपयोग सीधे नहीं होता; इसके लिए NBWL स्थायी समिति जैसी संस्था की अनुमति और शर्तों का पालन अपेक्षित होता है। कपिलाश मामले में 16 शर्तें और शमन योजना इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

परीक्षा की दृष्टि से रजिस्टर स्पष्ट रखें: स्थायी समिति की अनुमति और टेंडर जारी होना यह नहीं दिखाता कि सड़क बन गई; रिपोर्ट में NHAI अधिकारी ने कहा कि टेंडर तय होने के बाद ही काम शुरू होगा।

प्रारंभिक परीक्षा: अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. कपिलाश अभयारण्य के बारे में नीचे दिए युग्मों पर विचार करें:

युग्म 1: जिला - ढेंकानाल

युग्म 2: अधिसूचना वर्ष - 2011

युग्म 3: अधिसूचित क्षेत्र - 125.5 वर्ग किमी

ऊपर के कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) तीनों

(d) कोई नहीं

> **उत्तर: (c)।** ओडिशा वन्यजीव विभाग: ढेंकानाल जिला, 31 मार्च 2011 की अधिसूचना, 125.5 वर्ग किमी — तीनों युग्म सही हैं।

प्रश्न 2. 8 फरवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार NBWL स्थायी समिति की अनुमति किससे जुड़ी है?

(a) कपिलाश में नया चिड़ियाघर बनाने से

(b) CRRR के गोबिंदपुर-टांगी खंड के लिए अभयारण्य और ESZ भूमि के उपयोग से

(c) अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने से

(d) गिरियल प्रजनन केंद्र बंद करने से

> **उत्तर: (b)।** अनुमति CRRR परियोजना के लिए अभयारण्य की 4.682 हेक्टेयर और ESZ की 8.594 हेक्टेयर भूमि उपयोग की है; यह NHAI के पक्ष में है।

प्रश्न 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I: रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर और पशु-अंडरपास की शर्तें रखी गई हैं।

कथन-II: अनुमति मिलते ही सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) कथन-I सही है, किंतु कथन-II सही नहीं है

(b) कथन-I सही नहीं है, किंतु कथन-II सही है

(c) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं

(d) कथन-I और कथन-II दोनों सही नहीं हैं

> **उत्तर: (a)।** एलिवेटेड कॉरिडोर/अंडरपास और 16 शर्तें रिपोर्ट में हैं; निर्माण पूरा होने का कोई आधार नहीं - NHAI के अनुसार टेंडर तय होने के बाद काम शुरू होगा।

स्रोत:

PCSMANTRA.COM

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस: NBWL अनुमति की रिपोर्ट, 8 फरवरी 2026

ओडिशा वन्यजीव विभाग: कपिलाश अभयारण्य का आधिकारिक पृष्ठ